

// योजना का नाम सर्व शिक्षा अभियान //

उद्देश्य :-

वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना।
शाला में बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रावधान :-

1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सुविधा सभी बच्चों को।
2. निःशुल्क गणवेश सुविधा सभी वर्ग की बच्चियों को।
3. विकलांग बच्चों के लिये छात्रावास डाटा शिक्षा सुविधा।
4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय द्वारा अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों की शिक्षा सुविधा।
5. हेडस्टार्ट केन्द्रों द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा।
6. कक्षा 6 वीं की बच्चियों को सायकिल हेतु सुविधा।
7. शाला हेतु भवन एवं आधार भूत सामग्री प्रदान करना।

कौन लाभ ले सकता है ?

समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 वीं तक दर्ज छात्र/छात्राओं को शासन की इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। आंवटन राशि पालक शिक्षक संघ के शाला शिक्षा कोष में जमा की जाती है। पालक शिक्षक संघ द्वारा सामुदायिक सहभागिता के द्वारा राशि उपयोग किया जाता है।

योजना का लाभ कैसे ले :- जैसे -

1. किससे संपर्क करे —: निरंक
2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें —: निरंक
3. आवेदन करने का तरीका —: निरंक
4. आवश्यक दस्तावेज —: निरंक